ज्ञापांक 02/एम 10–88/2018......185

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक :.09/02/2026

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी के आवासीय प्रशिक्षण पर हुए व्यय हेतु कुल रू० 7,35,000/–(सात लाख पैतीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी सुश्री आकांक्षा चौधरी, कार्यक्रम पदाधिकारी के बिपार्ड में आवासीय प्रशिक्षण पर हुए व्यय हेतु कुल रू० 7,35,000/– (सात लाख पैतीस हजार रूपये) मात्र स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0001–बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, विपत्र कोड–21–2202–01–003–0001 के विषय शीर्ष–20.03–प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

3. वरीय सहायक निदेशक, बिपार्ड, गयाजी के पत्रांक–5035 दिनांक 11.07.2025 द्वारा सुश्री आकांक्षा चौधरी, कार्यक्रम पदाधिकारी के बिपार्ड, गयाजी में दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक की अवधि में प्रशिक्षण मद में हुए व्यय रू० 7,35,000/–(सात लाख पैतीस हजार रूपये), जिसका व्यय विवरणी (संलग्न) बिपार्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को बिपार्ड के खाते में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में राशि स्वीकृत की जा रही है।

4. राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बिपार्ड, गयाजी के बंधन बैंक, स्वराजपुरी रोड ब्रांच गया के बैंक खाता संख्या–50220029265768 IFSC CODE- BDBL0001543 में अंतरित किया जायेगा।

5. राशि की निकासी वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत संगत दिशा निर्देश के आलोक में की जायेगी।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 02/एम10–88/2018 (Computer No.322085) में दिनांक 05.02.2026 को नोट संख्या 50 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

9. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव

ज्ञापांक:–02/एम 10–88/2018...185... पटना, दिनाक :...09/02/2026

प्रतिलिपि:– विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/निदेशक (प्रशासन)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा)/वरीय सहायक निदेशक, बिपार्ड, गयाजी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05/लेखापाल एवं रोकड़पाल तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

Jyoti/DK-Budget